पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

आलू, सरसों और दलहन उत्पादक जिलों में प्राथमिकता से फास्फेटिक उर्वरक उपलब्ध कराएं–कृषि मंत्री

प्रदेश में 11.97 लाख मी०टन यूरिया व 4.77 लाख मी०टन डीएपी सहित पर्याप्त मात्रा में उर्वरक का स्टॉक उपलब्ध

जमाखोरी व कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई, 12358 छापे, 43 एफआईआर, 24 अभियुक्त गिरफ्तार व 254 लाइसेंस निलंबित

लखनऊ : 20 अगस्त, 2026

उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के आलू, सरसों और दलहन उत्पादक जिलों में प्राथमिकता के आधार पर फास्फेटिक उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने बताया कि दलहन खरीद योजना के तहत अब तक किसानों को 23 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। कृषि मंत्री ने संबंधित क्रय एजेंसियों को खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से आच्छादित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को वर्तमान खरीफ सीजन में फसलों की रोपाई एवं बुवाई के बाद संस्तुति के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। इस व्यवस्था को सुचारू और गतिशील बनाए रखने के लिए राज्य सरकार व्यक्तिगत सम्पर्क एवं पत्राचार के माध्यम से लगातार भारत सरकार के समन्वय में है। वर्तमान में प्रदेश के सभी जनपदों एवं मण्डलों में विभिन्न उर्वरकों का प्रचुर स्टॉक उपलब्ध है और कहीं भी किसी प्रकार की किल्लत नहीं है।

20 अगस्त, 2026 तक प्रदेश में कुल 26.35 लाख मी०टन उर्वरक उपलब्ध है। इसमें 11.97 लाख मी०टन यूरिया, 4.77 लाख मी०टन डी०ए०पी०, 4.98 लाख मी०टन एन०पी०के०, 3.53 लाख मी०टन एस०एस०पी० तथा 1.10 लाख मी०टन एम०ओ०पी० शामिल है। सहकारिता क्षेत्र में 4.96 लाख मी०टन यूरिया, 2.32 लाख मी०टन डी०ए०पी० व 1.36 लाख मी०टन एन०पी०के० तथा निजी क्षेत्र के बिक्री केंद्रों पर 7.01 लाख मी०टन यूरिया, 2.45 लाख मी०टन

डी०ए०पी० व 3.61 लाख मी०टन एन०पी०के० उपलब्ध है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी कृषि भूमि के अनुसार शत–प्रतिशत फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं और अनावश्यक रूप से उर्वरकों का अग्रिम भंडारण न करें।

उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी, ओवर–रेटिंग और टैगिंग रोकने के लिए प्रदेश भर में सघन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। 01 अप्रैल से 20 अगस्त, 2026 के मध्य कुल 12,358 छापे मारे गए, 1,782 नमूने एकत्र किए गए तथा 1,306 विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। अनियमितताओं पर 254 लाइसेंस निलंबित, 63 लाइसेंस निरस्त, 29 दुकानों की बिक्री प्रतिबंधित व 25 दुकानें सील की गईं। इसके अतिरिक्त 166.38 मी०टन स्टॉक जब्त कर 43 एफआईआर दर्ज कराई गईं तथा 24 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

समीक्षा बैठक के दौरान सहकारिता मंत्री श्री जेपीएस राठौर कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र, प्रमुख सचिव सहकारिता श्री अजय कुमार शुक्ला, विशेष सचिव कृषि श्री संजीव रंजन, निदेशक कृषि श्री टीएम त्रिपाठी सहित उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधि तथा कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

सम्पर्क सूत्र– डा0 मनोज चन्द्रा

राघवेन्द्र / 07:20 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in